न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
08/2017/प्रा.पत्र/2017	07.02.2017	10.05.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सतीश अग्रवाल पुत्र मिश्री लाल प्रबन्धक मैसर्स अजंनी ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी पटवा बाजार देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स अजंनी ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0

3–कुनाल चन्दानी पुत्र सुरेश कुमार चन्दानी प्रोपरायटर मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड के पास गणेशपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज0 निवासी 31,शास्त्री नगर वार्ड नं0 40 ब्यावर जिला अजमेर राज0

4– मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड के पास गणेशपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 10.05.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.10. 2016 को समय 1.02 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स अजंनी ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. सतीश अग्रवाल पुत्र मिश्री लाल प्रबन्धक मैसर्स अजंनी ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी पटवा बाजार देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का प्रबन्धक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Refined Groundnut Oil Kundan Postman Original Plastic Bottle Pack) रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री सतीश अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सतीश अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Refined Groundnut Oil Kundan Postman Original Plastic Bottle Pack)के 910–910 ग्राम के 17 नग मे से 4 नग मूल पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से 4 नग रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Refined Groundnut Oil Kundan Postman Original Plastic Bottle Pack) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सतीश अग्रवाल को रू0 380/–अक्षरे तीन सौ अस्सी रूपये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक(Refined Groundnut Oil Kundan Postman Original Plastic Bottle Pack) 910&910 ग्राम के 1–1 नग अलग–अलग चार सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1464 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1464 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. सतीश अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय सतीश अग्रवाल ने रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक बतोर वारन्टी मैसर्स मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड के पास गणेशपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज0 का बिल क्रमांक 1 दिनांक 01.04.2016 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2016/5157 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/607/एक्ट/2016/659 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार सतीश अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Refined Groundnut Oil Kundan Postman Original Plastic Bottle Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Refined Groundnut Oil Kundan Postman Original Plastic Bottle Pack)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Refined Groundnut Oil Kundan Postman Original Plastic Bottle Pack)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया रिफाइडं मूंगफली तेल कुन्दन पोस्टमैन मूल प्लास्टिक बोतल पैक (Refined Groundnut Oil Kundan Postman Original Plastic Bottle Pack)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी श्री सतीश अग्रवाल पुत्र मिश्री लाल प्रबन्धक मैसर्स अजंनी ट्रेडर्स सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी पटवा बाजार देवली जिला टोंक राज0पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री कुनाल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(मुहर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)

Scanned by CamScanner

चन्दानी पुत्र सुरेश कुमार चन्दानी प्रोपरायटर मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज बायपास रोड के पास गणेशपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज0 निवासी 31,शास्त्री नगर वार्ड नं0 40 ब्यावर जिला अजमेर राज0 पर शास्ति 10,000/- (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

Scanned by CamScanner